कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक/ F-1/FP/MP/MIN/39881/2019/ 2808 भोपाल, दिनांक 28/05/2024

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– वन मंडल अनूपपुर के परिक्षेत्र कोतमा के विभिन्न वनकक्षों के रकबा 314.743 हे. वनभूमि एवं ग्राम फुलकोना, डुमरकछार तथा भलगुडी के विभिन्न खसरों के रकबा 39.515 हे. राजस्व वनभूमि कुल 354.258 हे. वनभूमि में झिरिया वेस्ट ओपन कास्ट पद्धति से कोयला उत्खनन व्यपवर्तन का – SECL का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/39881/2019

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. 8-14/2020-FC, दिनांक 12/12/2023

---0---

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 12/12/2023 से 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई 04 बिन्दुओं की जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है:–

1. The State Govt Government shall submit the justification for not submmitting the complete compliance of the Stage-1 approval accorded FCA 1980 in case of Rajnagar RO underground mine.

   इस बिन्दु के सम्बन्ध में लेख है कि राजनगर ओ.सी परियोजना रकबा 123.567 हे. उपरितल अधिकार नवीनकरण प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी Stage-1 approval पत्र दिनांक 10/01/2008 में अधिरोपित शर्तो का SECL द्वारा पालन प्रतिवेदन पत्र क्रमांक/08 दिनांक 19/04/2015 से प्रस्तुत किया गया था जिसे अ.प्र.मु.व.सं. (भू–प्रबंध) भोपाल कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/2033 दिनांक 19/08/2015 से आपको प्रेषित किया गया है प्रति Annexure-i पर संलग्न है।

   राजनगर ओ.सी परियोजना रकबा 123.567 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण के सम्बन्ध में आपके पत्र क्र./8-145/2006-FC दिनांक 04/09/2018 में यह उल्लेख है कि इस प्रकरण में अपेक्षित क्षतिपूर्ति वनीकरण और वास्तव में किये गये क्षतिपूर्ति वनीकरण में अन्तर हो तो उसके बीच के क्षतिपूर्ति वनीकरण अन्तर की सीमा के दोगुने के बराबर वनभूमि में क्षतिपूर्ति वनीकरण किया जा सकता है। प्रति Annexure-ii पर संलग्न है।

   राजनगर ओ.सी. परियोजना रकबा 123.567 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य लगभग 37 वर्ष पूर्व अविभाजित मध्य प्रदेश (वर्तमान छतीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश) के भौगिोलिक क्षेत्र अन्तर्गत सम्पन्न किया गया था जिसके भुगतान से संबंधित दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है परन्तु भौतिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है। भौतिक सत्यापन बाबत् संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन मंडल अधिकारी को लेख किया गया है जो प्रयासरत् है।

   SECL ने एक आवेदन पत्र क्रमांक/27 दिनांक 27/05/2024 इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि यदि उक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाता है ता उस स्थिति में वन विभाग क्षतिपूर्ति वनीकरण के क्रियान्वयन में अनुमानित लागत का निर्धारण वर्तमान दर से करते हुए निर्धारित अनुमानित राशि एवं पूर्व में जमा की गई राशि के अन्तर के भुगतान बाबत् वन विभाग निर्देशित करता है तो आवेदक संस्था निर्धारित राशि भुगतान किया जायेगा।

SECL ने विषयांकित झिरिया वेस्ट खुली खदान परियोजना रकबा 354.258 हे. वनभूमि के प्रकरण को राजनगर आर.ओ. भूमिगत खदान रकबा 123.567 हे. वनभूमि प्रत्यावतर्न प्रकरण से पृथक करते हुये विषयांकित परियोजना की प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया है। प्रति Annexure-iii पर संलग्न है।

2. The Regional Office Bhopal shall carry out inspection of the area included in the forest land diversion proposal of Rajnagar of RO underground mine whose stage-II Approval has not been obtained till date and submit a report regarding the vioation of FCA, 1980.

   वन मंडल अधिकारी, अनूपपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री ए.के. सिन्हा (आई.आर.ओ.) भोपाल द्वारा दिनांक 08/12/2022 को मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

3. The Regional Office shall examine the area propsed to be used for over burden dumps, Belt, CHP & Sliding etc. in the instant case and submit a report regarding violation of FCA, 1980.

   वन मंडल अधिकारी, अनूपपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री ए.के. सिन्हा (आई.आर.ओ.) भोपाल द्वारा दिनांक 08/12/2022 को मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

4. The State shall revisit rhe Compensatory Afforestation areas Keepingin view the observations raised by the Regional Office in site Inspecion Report and take corrective measures accordingly. The Regional Office shall ensure that the corrective measures as envisaged in the SIR have been taken by the State.

   इस बिन्दु के सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के श्री ए.के. सिन्हा द्वारा प्रस्तावित वनीकरण योजना का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण तत्कालीन वन मंडल अधिकारी, उप वन मंडल अधिकारी, कोतमा वन परिक्षेत्र अधिकारी, बिजुरी एवं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की ओर से क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री यू.टी. कंझरकर द्वारा दिनांक 08/12/2022 को प्रस्तावित अनूपुपर के वन परिक्षेत्र बिजुरी के कक्ष क्रमांक RF-536, PF-562, PF-566 एवं वन परिक्षेत्र कोतमा के वन कक्ष क्रमांक PF-430 का निरीक्षण किया गया । तत्समय श्री ए.के. सिन्हा, (Dy DG. Forest) भोपाल द्वारा जो सुझाव दिये गये थे उनके अनुसार ही उपर्युक्त वन कक्षों के कुल रकबा 180.00 हेक्टेयर वनभूमि की वनीकरण योजना तैयार की गई है। वनीकरण योजनाओं की प्रति ऑनलाईन प्रस्ताव में अपलोड है।

अतः उपरोक्तानुसार जानकारी संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

(एच.एस. मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / F-1/FP/MP/MIN/39881/2019/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्यप्रदेश ।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
3. महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हसदेव क्षेत्र साउथ झगराखंड कॉलरी, जिला कोरिया (छत्तीसगढ) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

25.05.19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Annexure - i

(५५)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 428 / 2006 / 10–11 / भोपाल, दिनांक

प्रेषक :–

सी.पी.राय (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना, (भा.व.से.)
सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली–110003

विषयः– **एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र की आर.ओ. भूमिगत खदान हेतु 502.00 हे0 वन भूमि एवं राजनगर ओ.सी. परियोजना हेतु उप संगीय निर्माण कार्य के लिये 123.567 हे0 उपरितल अधिकार का नवीनीकरण।**

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-145/2006-FC, दिनांक 10.01.2008

2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का संशोधित पत्र क्रमांक 8-145/2006-FC, दिनांक 19.02.2014

—0—

महोदय,

विषयांतर्गत भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्रों से जारी प्रथम चरण (सैद्धान्तिक) स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, शहडोल के पत्र दिनांक 01.07.2015 एवं वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल अनूपपुर, म0प्र0 के पत्र दिनांक 29.05.2015 से मय अभिलेख सहित प्राप्त हुआ है। प्राप्त पालन प्रतिवेदन के अनुसार अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:–

शर्त क्र.	अधिरोपित शर्त	अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन
I	Compensatory Afforestation shall be raised and maintained over non-forest land equal in extent to the forest land proposed to be diverted (i.e. over 123.565 ha.) the User Agency shall transfer the cost of compensatory Afforestation and its maintenance to the State Forest Department.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अपने पत्र दिनांक 20.7.2014 से भारत सरकार, नई दिल्ली को लेख कर अधिरोपित शर्त क्र. 2 (i) से 2 (iv) को संशोधित किये जाने का अनुनरोध किया गया था। भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 19.02.2014 द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 (i) से 2 (iv) को छोड़कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.01.2008 द्वारा जारी प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शेष शर्तों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
II	The State Government shall immediately transfer and mutate the non-forest land identified for Compensatory / Afforestation in favour of the State Forest Department.	———"———
III	The non-forest land identified for raising Compensatory Afforestation shall be notified as Reserved forest under section 4/ Protected forest under 29 of the Indian forest act, 1927, by the State Government immediately.	———"———

IV	Penal Compensatory Afforestation shall be raised and maintained over degraded forest land twice in extent to the forest land worked in violation of the Forest (Conservation) Act. 1980(i.e-. (8.526 + 6.359 + 6.090) = 20.975 ha. x 2 =41.950 ha.). The User Agency shall transfer the cost of penal Compensatory Afforestation and its maintenance to the State Forest Department.	———"———
V	The State Government shall charge 100% Net Present Value over 123.565 ha. of the forest area (surface area) to be diverted under proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002 and 01.08.2003 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by this Ministry vide letter No. 5-1/1998-FC(Pt.II) dated 19.08.2003 as well as Letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 in this regard.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा रकबा 123.567 हेक्टेयर उपरितल अधिकार वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि रू. 7,29,11,330/— 100% तथा रकबा 378.440 हेक्टेयर भूमिगत खदान वन भूमि की शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि रू.11,16,37,700/— 50% की दर से कुल राशि रू.18,45,49,030/— होती है। आवेदक संस्थान द्वारा अपने आवेदन पत्र क्रमांक/991 दिनांक 26.03.2008 से कैम्पा मद में जमा कुल राशि रू.350 करोड़ में समायोजन किया जाना बताया गया है। आवेदक संस्थान के पत्र दिनांक 26.03.2008 की प्रति पालन प्रतिवेदन में संलग्नक क्रमांक—2 पर संलग्न है।
VI	The State Government shall charge 50% of the Net Present Value over 502.00-123.565 ha. = 378.44 ha. (Underground area) of the forest area to be diverted under this proposal ferm the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा रकबा 123.567 हेक्टेयर उपरितल अधिकार के 100% नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि रू.729.115 लाख आवेदक संस्थान द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में 350 करोड़ रूपये जमा राशि में समायोजित किया गया है। समायोजित की गई राशि का पालन प्रतिवेदन में संलग्नक क्रमांक—2 पर संलग्न है।
VII	The State Government shall charge penal Interest on the payment of the Net Present Value w.e.f 25.10.2004 i.e. the date of grant of Temporary working Permission, on which date The NPV had become due.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा दाण्डिक ब्याज की कुल राशि रुपये 1,12,38,336/— डी.डी. क्रमांक 049866 दिनांक 05.09.2011 एवं डी.डी. क्रमांक 050254 दिनांक 20.09.2011 से रुपये 83,55,778/— एवं 28,82,558/— कार्यालय वनमण्डल (सामान्य) अनूपपुर में जमा की गई थी। आवेदक संस्थान द्वारा जमा की गई राशि चेक क्रमांक 196041 दिनांक 15.12.11 एवं चेक क्रमांक 196042 दिनांक 16.12.11 को पंजाब नेशनल बैंक अनूपपुर, मध्यप्रदेश द्वारा कोर बैंकिंग के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) (नोडल अधिकारी FC Act) के खाता क्रमांक 1276000100238015, पंजाब नेशनल बैंक न्यू मार्केट शाखा, भोपाल में हस्तांतरित की गई थी। हस्तांतरित की गई राशि का विवरण पालन प्रतिवेदन में संलग्नक क्रमांक—3 पर संलग्न है।

VIII	Additional amount of the NPV of the diverted land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. Shall be charged by the State Government from the User Agency. The Agency shall furnish and undertaking to this effect.	आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू मद में भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार अंतर की राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है, इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है, वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।
IX	All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred to un Account No. CA 1580 of Corporation Bank, Block-II, CGO Complex, Phase-I Lodhi Road, New Delhi-110003.	इस शर्त के पालन में वन मंडल (सा.) अनूपपुर, म0प्र0 द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों के अनुसार आवेदक संस्थान से सभी आवश्यक परियोजनाओं की राशि जमा कराई जाकर भारत सरकार के कैम्पा मद के खाते में हस्तांतरित की गई है।
X	The User Agency shall create fence and maintain a proper safety zone around the mining area. The User Agency shall deposit funds with the Forest Department for the creation, protection and regeneration of the safety zone area, and also shall bear the cost of afforestation over on and a half time of the safety zone area in degraded forest else where.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा सेफ्टी जोन कार्य की व्यय राशि 1,42,53,313/– आर.टी. जी.एस. के माध्यम से कैम्पा मद के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के खाता क्रमांक 344902010105423 जिसका यू.टी.आर. नं. SBIN515107104700 दिनांक 17.04.2015 से हस्तांतरित की गई है। बैंक विवरण की प्रति पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।
XI	The period of lease for the diversion of 502.00 ha. of forest land for renewal of lease for Rajnagar RO/Under-Ground Coal Mining project in Anuppur District of Madhya Pradesh in favour of CGM Hasdeo region of South Eastern Coal Fields Ltd. (SECL), and also diversion of 123.565 ha. forest land of the same area for surface use for the same project, shall be for a period of 20 years.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।
XII	The User Agency shall fence, raise and maintain plantations of suitable tree species on the surface area of the mine.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है। आवेदक संस्थान द्वारा वन विकास निगम से कार्य कराये जाने हेतु वचनबद्ध है इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।
XIII	No damaged shall be caused to the top soil and surface area of the mine. If any damaged to the top soil and the surface area of the mine is reported. Than the User Agency shall raise and maintain Compensatory Afforestation and Penal Compensatory Afforestation as may be stipulated under rules.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।
XIV	The State Government / User Agency shall initiate action against the persons involved in the violation of the Forest (Conservation) Act. 1980 and submit an action taken report to the Ministry of Environment & Forest within a period of six months.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।

XV	The Regional CCF, Bhopal shall take immediate legal action for violation of the Forest (Conservation) Act. 1980.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।
XVI	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।
XVII	All other conditions stipilated by the State Government of Madhya Pradesh at the time of submission of the proposal shall be complied with by the User Agency.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।
XVIII	Other standard conditions as applicable to proposals related to underground mining / surface rights shall also be applicable in the instant case.	इस शर्त के पालन में आवेदक संस्थान को शर्त मान्य है, इस आशय का आवेदक संस्थान द्वारा वचन पत्र दिया गया है। वचन पत्र पालन प्रतिवेदन में संलग्न है।

उक्त प्राप्त पालन प्रतिवेदन मय अभिलेख के संलग्न कर प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराये जाने का अनुरोध है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सी.पी.राय)

पृ. क्रमांक/एफ—1/428/2006/10—11/2034 भोपाल, दिनांक 19-8-15

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई—5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल
2. मुख्य वन संरक्षक शहडोल वृत्त शहडोल, मध्यप्रदेश।
3. वन मंडल अधिकारी (सा.) वन मंडल अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
4. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश।
5. मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र, पोस्ट—साउथ झगराखंड, कॉलरी, जिला—कोरिया (छत्तीसगढ़)
6. श्री मनोज मिश्रा, अधिवासी कार्यपालक, एस.ई.सी.एल., कोल परिसर, रायसेन रोड़, पिपलानी भोपाल, मध्यप्रदेश

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।
(अनुक्र.—1 के लिए)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Annexure No-2

F. No. 8-145/2006-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jorbagh Road,
New Delhi – 110003

Dated: 4 Sept ~~August~~, 2018

To,

The Principal Secretaries (Forests)
Government of Madhya Pradesh / Chhattisgarh
Bhopal/Raipur

Sub: This is regarding a proposal for diversion **502.00 ha of forest land** for renewal of lease for Rajnagar RO / Under – Ground Coal Mining project in Anup-nagar District of **Madhya Pradesh** in favour of CGM Hasdeo region of SECL, and also diversion of 123.56 ha forest land (a part of 52.00 ha) for surface use for the same project.

and

Additional diversion of 4.20 ha of forest area for Rajnagar OCP in **Chhattisgarh** and the same is the extension of the already approved proposal of Rajnagar mining lease in adjoining Madhya Pradesh

Sir,

I am directed to refer to the Government of Chhattisgarh's letter No. letter no. 11 / Bhu-prabandh / Khanij / 628 dated 20.03.2008 submitting above subject proposal for prior approval of the Central Government under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. The said proposal was placed before Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting held on 26.07.2018. The detailed minutes of the FAC meeting held on 30.08.2017 is placed on the website of this Ministry: **www. forrestclearance.nic.in.** FAC *inter-alia* recommended that:

I. State Government shall submit the status of CA carried by State Government in lieu of the diverted forest land for which renewal proposal is under consideration of MoEF&CC. If the CA done in the past against the same land is as per MoEF&CC guideline, No CA shall be insisted upon on renewal of approval. If there is gap between the requisite CA as per the guideline and actually carried out in the field than the balance CA shall be raised over degraded forest land equivalent to double the extent of the gap. State Government shall submit the revised CA scheme accordingly.

II. Compensatory afforestation, if done, shall be done as per the MoEF&CC guidelines dated 08.11.2017.

III. MoEF&CC shall take the matter related to payment of NPV with member Secretary CEC. The amount paid by user agency against NPV of the area shall be reconciled with CEC, User agency, State Government and Adhoc CAMPA.

In view of the above, the State Government is requested to submit information/documents/clarification as indicated above to this Ministry for further consideration of the proposal(s) in the Ministry.

Yours faithfully,

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forest (FC)

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forest, Govt. of Madhya Pradesh/Chhattisgarh, Bhopal/Raipur.
2. The Addl. PCCF (Central), Regional Offices, MoEF&CC, Bhopal/Nagpur:
3. The Nodal Officer (FCA), O/o the PCCF, Govt. of Madhya Pradesh/Chhattisgarh, Bhopal /Raipur.
4. The User Agency.
5. Monitoring Cell of FC Division, MoEF&CC, New Delhi.
6. Guard File.

(Sandeep Sharma)
Assistant Inspector General of Forest (FC)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल, अनूपपुर (म0प्र0) Annexure-II

E-mail : dfotanppur@mp.gov.in Ph. No. (07659) 222038

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 604 अनूपपुर, दिनांक 25/4/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
वन भवन, तुलसी नगर
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– वन मण्डल अनूपपुर के परिक्षेत्र कोतमा के विभिन्न वनकक्षों के रकवा 314.743 हे. वन भूमि तथा ग्राम फुलकोना, डूमरकछार व भलमुड़ी के विभिन्न खसरों के रकवा 39.515 हे. राजस्व वन भूमि कुल 354.258 हे. वन भूमि मैं झिरिया वेस्ट ओपन कॉस्ट पद्धति से कोयला उत्खनन के व्यपवर्तन– एस.ई.सी.एल. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/39881/2019

संदर्भ :– 1– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. 8–14 / 2020–एफ.सी दिनांक 12.12.2023

2– आपका पत्र क्र. एफ–1 / FP/MP/MIN/39881/2019/451 दिनांक 21.01.2024

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण के संबंध में चार बिन्दुओं की जानकारी चाही गई है, संदर्भित पत्र क्र. 02 द्वारा दिये गए निर्देशानुसार चाही गई जानकारी तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्र.	चाही गई जानकारी	रिमार्क
1	The State Government shalll submit the justification for not submitting the complete compliance of the Stage- 1 approval accorded under FCA, 1980 in case of Rajnagar RO underground mine.	राजनगर ओ.सी. परियोजना की भारत सरकार के पत्र क्र. 8–145 / 2006–एफ.सी. दिनांक 10 जनवरी 2008 से जारी प्रथम चरण की स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. हसदेव के पत्र क्र. 08 दिनांक 19.04.2015 से वन मण्डल में प्राप्त हुआ जिससे कार्यालयीन पत्र क्र. 937 दिनांक 29.05.2015 से मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल को प्रेषित् किया गया। मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के पत्र क्र. / माचि / 2015 / 4657 दिनांक 01.07. 2015 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू–प्रबंध की ओर प्रेषित् किया गया है।
2	The Regional Office Bhopal shall carry out inspection of the area included in the forest land diversion proposal of Rajnagar RO underground mine whose Stage-II Approval has not been oobtained till date and submit a report regarding the violation of FCA, 1980.	श्री ए.के सिन्हा (आई.आर.ओ.) भोपाल द्वारा दिनांक 08.12.2022 को मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।
3	The Regional Office shall examine the area proposed to be used for over burden dumps, Belt, CHP & Sliding etc. in the instant case and submit a report regarding violation of FCA, 1980.	श्री ए.के सिन्हा (आई.आर.ओ.) भोपाल द्वारा दिनांक 08.12.2022 को मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

\\Win7-pc\d\S 2013\DM 2013\Memo_2024 dm.docx 147

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

आवक क्र. 996 दिनांक 1/5/24

4	The State shall revisit the Compensatory Afforestation areas keepingin view the observations raised by the Regional Office in Site Inspecion Report and take corrective measures accordingly. The Regional Office shall ensure that the corrective measures as envisaged in the SIR have been taken by the State.	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चाही गई बिन्दु क्र. 04 के संबंध में श्री ए.के. सिन्हा (Dy DG. Forest) भोपाल रीजन द्वारा प्रस्तावित वनीकरण योजना का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी कोतमा, वन परिक्षेत्र अधिकारी बिजुरी एवं एस.ई.सी.एल प्रबंधन की ओर से क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री यू.टी. कंझरकर द्वारा दिनांक 08.12.2022 को प्रस्तावित वन परिक्षेत्र बिजुरी के कक्ष क्र. आर.एफ. 536 पी.एफ 562, पी.एफ 566 एवं वन परिक्षेत्र कोतमा के कक्ष क्र. पी.एफ 430 का निरीक्षण किया गया तत् समय श्री ए श्री ए.के. सिन्हा (Dy DG. Forest) भोपाल रीजन द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनके अनुसार ही वनीकरण योजना तेयार की गई थी। (वनीकरण योजना की प्रति संलग्न है)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

पृ0क्रमांक/मा.चि./2024/605 अनूपपुर, दिनांक 25/4/25

प्रतिलिपि :–

1– मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित्।

2– महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र साउथ झागरा खण्ड कॉलरी जिला कोरिया (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल अनूपपुर

Annexure-III

"Under Jurisdiction of Bilaspur Court Only"

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COALFIELDS LTD.
SEEPAT ROAD, Post Box No. - 60
BILASPUR-495006(CG)
"A MINI RATNA COMPANY"

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, हसदेव क्षेत्र
OFFICE OF THE AREA GENERAL MANAGER
HASDEO AREA
P.O. : South Jhagrakhand
Distt. : MCB (Chhattishgarh) 497448
Ph.n. : 7771243035

Ref: No. SECL/AGM(HSD) /L&R/24/ 27 **Date : 27 05 - 2024**

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू– प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय : Proposal for divesrsion of 354.258 ha. of forest land/revenue forest land (314.743 ha. of forest land +39.515 ha of revenue forest land =354.258 ha. forest land) for Jhiria West OCP Mining in favour of M/s South Eastern Coalfields Limited, Anuppur District State of Madhya Pradesh (online No. FP/MP/MIN/39881/2019) regarding.

संदर्भ : **8-14/2020-FC Dtd. 12.12.2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र जिस की प्रति उपभोक्ता संस्थान को प्राप्त हुई है उक्त पत्र के तहत वांछित बिन्दुवार जानकारी निम्नवत् प्रस्तुत है:–

i. इस परिपेक्ष्य में यह अवगत कराना चाहेंगे की राजनगर आर. ओ. भूमिगत खदान में उपयोग हेतु 502.00 हे0 वनभूमि की सैद्धांतिक स्वीकृती के शर्तो के पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के पश्चात दिनांक 04.09.2018 को आयोजित FAC के बिन्दु क्रमांक –1 में इस आशय का उल्लेख करते हुए जानकारी चाहा गया है कि यदि उक्त नवीनीकरण प्रकरण में पूर्व में क्षतिपूर्ति वनीकरण किया गया हो तो उस स्थिति पुनः क्षतिपूर्ति वनीकरण ना कराया जावे।

उपरोक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण के संदर्भ में यह भी अवगत कराना चाहेगें कि उक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य 37 वर्ष पूर्व अविभाजित म0प्र0 (वर्तमान छ0ग0 एवं म0प्र0) के भौगोलिक क्षेत्र अन्तर्गत संपन्न किया गया था, जिसका भुगतान से संबधित दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है परन्तु भौतिक सत्यापन नही हो पा रहा है। भौतिक सत्यापन बावत् संबधित मुख्य वनसंरक्षक/वनमण्डलाधिकारी प्रयासरत है।

यदि उक्त क्षतिपूर्ति वनीकरण का भौतिक सत्यापन नही हो पाता है तो उस स्थिति में वन विभाग क्षतिपूर्ति वनीकरण के क्रियान्वयन में अनुमानित लागत का निर्धारण वर्तमान दर से करते हुए निर्धारित अनुमानित राशि एवं पूर्व में जमा की गई राशि के अन्तर को आवेदक संस्थान द्वारा भुगतान बावत् निर्देशित करता है तो आवेदक संस्थान द्वारा निर्धारित राशी भुगतान किया जायेगा।

यदि वन विभाग आवेदक संस्थान को ACA की भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराने बावत् निर्देशित करता है तो संस्थान के पास इस तथ्य का भी विकल्प उपलब्ध है।

ii. श्री ए0के0 सिन्हा (आई.आर.ओ.) भोपाल द्वारा दिनांक 08.12.2022 को मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया।

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
SOUTH EASTERN COALFIELDS LTD.
SEEPAT ROAD, Post Box No. - 60
BILASPUR-495006(CG)
"A MINI RATNA COMPANY"

कार्यालय मुख्य महाप्रबंधक, हसदेव क्षेत्र
OFFICE OF THE AREA GENERAL MANAGER
HASDEO AREA
P.O. : South Jhagrakhand
Distt. : MCB (Chhattishgarh) 497448
Ph.n. : 7771243035

Ref: No. SECL/AGM(HSD) /L&R/24/ **Date : - 05 - 2024**

iii. श्री ए0के0 सिन्हा (आई.आर.ओ.) भोपाल द्वारा दिनांक 08.12.2022 को मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया।

iv. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु पर्वितन मंत्रालय द्वारा चाही गई बिन्दु क्र0 04 के संबध में श्री ए.के. सिन्हा (Dy.DG.Forest) भोपाल रीजन द्वारा प्रस्तावित वनीकरण योजना का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी, उप वन मण्डलाधिकारी अनूपपुर, वन परिक्षेत्र अधिकारी, कोतमा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बिजुरी एवं एस.ई.सी.एल. प्रबंधन की ओर से क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री यू.टी. कंझरकर द्वारा दिनांक 08.12.2022 को प्रस्तावित वन परिक्षेत्र बिजुरी के कक्ष क्र0 आर.एफ.536, पी.एफ 562, पी.एफ 566 एवं वन परिक्षेत्र कोतमा के कक्ष क्र0 पी.एफ 430 का निरीक्षण किया गया तत् समय श्री ए.के. सिन्हा (Dy.DG.Forest) भोपाल रीजन द्वारा जो सुझाव दिए गये थे उनके अनुसार ही वनीकरण योजना तैयार की गई थी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत यह अनुरोध है कि विषयांकित झिरिया वेस्ट खुली खदान परियोजना के प्रकरण को राजनगर आर.ओ. भूमिगत खदान के नवीनीकरण प्रकरण से पृथक करते हुए प्रथम चरण स्विकृती का आदेश निर्गत करने बावत् प्रकरण को अग्रेपित करने का कष्ट करें।

27/5/24.
क्षेत्रीय महाप्रबंधक
हसदेव क्षेत्र

प्रतिलिपिः–
1. महाप्रबंधक (वन एवं पर्यावरण) एस.ई.सी.एल. बिलासपुर